मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में, जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य (Mode of Construction) (आईटम रेट / ई0पी0सी0) के अन्तर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय समिति (H.P.C./Steering Committee) हेतु दिनांक 17.11.2023 अपरान्हः 12:00 बजे आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. श्री आनन्द बर्द्धन, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री आर0के0 सुधाशुं, प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री हरिचन्द्र सेमवाल, सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्रीमती कहकशां नसीम, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री जे0एल0 शर्मा, संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री अशोक कुमार, सयुंक्त सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री बी0एस0 बोरा, सयुंक्त सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. श्री जयपाल सिंह, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग का उत्तराखण्ड।
9. श्री एच0के0 पाण्डेय, सलाहकार, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. श्री एस0के0 विकास, मुख्य अभियन्ता, पेयजल निगम, उत्तराखण्ड।
11. श्री एस0सी0 पन्त, महाप्रबन्धक, पेयजल निगम, उत्तराखण्ड।
12. श्री सुरेश चन्द्र बलूनी, निदेशक(नियोजन), यू0जे0वी0एन0एल0 लि0, उत्तराखण्ड।
13. श्री प्रशान्त विश्नोई, महाप्रबन्धक पी0आई0यू0 जमरानी, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
14. श्री बी0बी0 पाण्डेय, डी0जी0एम0, पी0आई0यू0 जमरानी, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
15. श्रीमती नीतू सिंह, अधिशासी अभियन्ता, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

बैठक में प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जमरानी द्वारा अवगत कराया गया कि जमरानी बांध परियोजना को सर्वप्रथम वर्ष 1975 में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके अन्तर्गत मुख्यतः आवासीय परिसर का निर्माण, काठगोदाम में गोलानदी पर बैराज का निर्माण, पुरानी नहरों का पुनरोद्धार एवं आधुनिकीकरण तथा मुख्य बांध का निर्माण आदि कार्य किये जाने थे। वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के जनपद नैनीताल में काठगोदाम से 10 कि0मी0 अपस्ट्रीम में गोला नदी पर जमरानी बांध (130.60 मी0 ऊंचाई) का निर्माण प्रस्तावित है। जमरानी बांध परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों में आवंटित धनराशि के सापेक्ष वर्तमान तक कुल रू0 129.92 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

2– पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा उक्त परियोजना की डी0पी0आर0 गठित कर स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार को प्रेषित की गयी। उक्त के क्रम में केन्दीय जल आयोग, भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 11.02.20219 को परियोजना की लागत रू0 2584.10 करोड़ पर अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त परियोजना के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य जल एवं लागत के बंटवारे के लिये दिनांक 22.02.2018 में एक MOU गठित किया गया। शासन के पत्र संख्या–1354/II(2)–2019–17 (06)/2015, दिनांक 25.10.2019 द्वारा उक्त परियोजना की सम्पूर्ण लागत रू0 2584.10 करोड़ (उत्तराखण्ड राज्य की हिस्सेदारी रू0 2027.59 करोड़ एवं उत्तर प्रदेश राज्य की हिस्सेदारी रू0 556.51 करोड़) पर उत्तराखण्ड राज्य के वित्त विभाग द्वारा State Finance Concurrence प्रदान किया गया। शासन के पत्र संख्या–59402/2022, दिनांक 31.08.2022 द्वारा

Generated from eOffice by RANVIR SINGH, RO-RS, RO - IRRIGATION, Irrigation and Minor Irrigation Department on 30/11/2023 04:03 PM

जमरानी बांध परियोजना के सापेक्ष अनुमोदित लागत रू0 2584.10 करोड़ (वर्ष 2018 के मूल्य स्तर पर) में निर्माण के दौरान लागत, वृद्धि राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने की सहमति प्रदान किये जाने हेतु भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रस्ताव प्रेषित किया।

3– भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय के पत्र संख्या–P-19011/7/2021-SPR/3040-3055, दिनांक 31.10.2023 द्वारा उक्त परियोजना की लागत रू0 2584.10 करोड के सापेक्ष PMKSY-AIBP के अन्तर्गत वित्त पोषित करते हुये केन्द्राश रू0 1557.18 करोड़, परियोजना पूर्ण किये जाने की अवधि मार्च, 2028 तथा भविष्य में परियोजना की अतिरिक्त लागत राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने आदि कतिपय शर्तों के अधीन सहमति प्रदान की गयी। पुनः विभाग द्वारा उक्त परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 3678.23 करोड़ की डी0पी0आर0 गठित कर शासन में उपलब्ध कराया गया है, परन्तु उक्त परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 3678.23 करोड की डी0पी0आर0 को केन्दीय जल आयोग, भारत सरकार की तकनीकी सलाहाकार समिति द्वारा परीक्षण किया जाना शेष है।

4– उक्त परियोजना से आच्छादित क्षेत्र दुधवा टाइगर रिजर्व से सम्बन्धित होने के दृष्टिगत National Tiger Conservation Authority से अनापत्ति प्राप्त नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में National Board for Wildlife द्वारा National Tiger Conservation Authority से सम्बन्धित N.O.C. प्रदान किये जाने हेतु Standing Committee द्वारा दिनांक 27 सितम्बर, 2023 को स्थल परीक्षण हेतु 04 सदस्य समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण हेतु दिनांक 18–19 नवम्बर, 2023 की तिथि निर्धारित की गयी है।

5– ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं की निविदा का प्रकार निर्धारित करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट जनवरी, 2023 में जारी की गयी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर जिन परियोजनाओं में भूगर्भ विज्ञान में अनिश्चितता, Scope of work में विचलन तथा अधिक लागत होने पर योजना को Item Rate के आधार पर निविदा प्रक्रिया सम्पादित किये जाने की संस्तुति की गयी है। पूर्व बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में यह अवगत कराया गया है कि देश भर में 25 मेगा वॉट से अधिक क्षमता की निर्माणाधीन/निविदा प्रक्रिया में 41 जल विद्युत परियोजनाओं में से 12 परियोजनायें EPC Mode में तथा शेष 29 परियोजनायें Item Rate निविदा प्रक्रिया के आधार पर सम्पादित की जा रही हैं।

6– अतः उपरोक्त के आलोक में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति (H.P.C./Steering Committee) द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

1. पूर्व में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 03.10.2022 को आहूत उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय पर पुनर्विचार करते हुये उक्त परियोजना से सम्बन्धित निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रपत्र Item Rate के आधार पर तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. उक्त परियोजना की पुनरीक्षित अवशेष कार्यों की लागत रू0 3678.23 करोड का अनुमोदन नियोजन विभाग की टी0ए0सी0 द्वारा किया गया। केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार द्वारा तकनीकी परिर्वतन एवं Cost appraisal के उपरान्त तकनीकी समिति से अनुमोदन प्राप्त किये जाने के पश्चात् नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।
3. National Tiger Conservation Authority से N.O.C. प्राप्त होने के उपरान्त ही उक्त परियोजना के समस्त अवस्थापना सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जायें।

... Department on 30/11/2023 04:03 PM

4. PMKSY-AIBP के अन्तर्गत वित्त पोषित उक्त परियोजना को समयान्तर्गत सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में केन्द्राशं हेतु राज्य सरकार एवं भारत सरकार के मध्य गठित होने वाले MOU के ड्राफ्ट पर प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाय।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 30-11-2023 13:18:46

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2
ई पत्रावली सं0–43645
देहरादून, दिनांक : 30 नवम्बर, 2023

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सयुंक्त सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सयुंक्त सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग का उत्तराखण्ड।
7. सलाहकार, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्य अभियन्ता, पेयजल निगम, उत्तराखण्ड।
9. महाप्रबन्धक, पेयजल निगम, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक(नियोजन), यू0जे0वी0एन0एल0 लि0, उत्तराखण्ड।
11. महाप्रबन्धक पी0आई0यू0 जमरानी, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
12. अधिशासी अभियन्ता, नियोजन विभाग(टी0ए0सी0), उत्तराखण्ड शासन।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Jai Lal Sharma
Date: 30-11-2023 13:35:13

(जे0एल0शर्मा)
संयुक्त सचिव।

...R SINGH, RO-RS, RO - IRRIGATION, Irrigation and Minor Irrigation Department on 30/11/2023 04:03 PM